

तहरीर जारी होकर पत्रावली वाले
इंजार् पी.डी. रिपोर्ट दिनांक 05/01/2024
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
असखण्ड अधिकारी, बावड़ी

5⁰¹
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित
तहसीलदार वावड़ी से पी.डी. रिपोर्ट
अप्राप्त। पत्रावली वाले इंजार्
पी.डी. रिपोर्ट दिनांक 10/01/2024
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर एवं
असखण्ड अधिकारी, बावड़ी

14⁰¹
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा
शीघ्र सुनवाई बाबत, मिसल तलबी का
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल
मिसल हो। तहसीलदार वावड़ी से
विक्षाजन प्रस्ताव (पी.डी. रिपोर्ट)
प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल हो।

बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया
कि राजख वाद में वादग्रस्त आशपी
ग्राम केलावा खुर्द तहसील वावड़ी की राजख
सीमा में वादीगण एवं प्रतिवादी गण के,
एक रा ख. की संयुक्त खालेदारी अर्थात्
शुदा छवि ग्राम ख. सं. 224, 256 एवं
257 कुल ख. सं. 3 (तीन) रकबा 11.0995



हेक्टेअर आई हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी

गण के माफिक एक एवं हिस्सा कुतार माप एवं
सीमांकन के बरवादा किया जावे।

वादीगण अधिवक्ता की बहस

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

गंगा एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त
विकास प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। तहसीलदार बावड़ी से दिनांक
12/01/2021 को प्राप्त काम किलावा खुर्द
का विकास प्रस्ताव खसरा नं० 224, 256
एवं 257 कुल खसरा नं० तीन कुल रकबा
11.0995 हेक्टेयर का स्वीकृत किया
जाता है।

आदेश

वाक सप्त आराधी गाम किलावा
खुर्द के तहसीलदार बावड़ी द्वारा
प्राप्त विकास प्रस्ताव अनुसार खोलेदारान्
के रास्ता बावड़, समस्या न रहे, इस
कारण की सुनिश्चितता के साथ खोलेदारान्
के खसरा नं० का अलग-अलग वट्टे नम्बर
कायम कर राजस्व नक्शे में तरमीम की
जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्फाज करने
का आदेश तहसीलदार बावड़ी को
दिया जाता है। विकास प्रस्ताव इस
निर्णय एवं अंतिम डिक्ली का भाग रहेगा।
अंतिम डिक्ली पचाही जारी हो। तहसीलदार
बावड़ी को इस आदेश की पालनाई तहरीर
जारी हो।

पत्रावली केसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।

सहायक कलेक्टर एवं
असल अधिकारी, बावड़ी